वाणिज्यकर विभाग से संबंधित बजटीय घोषणाएँ

- आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों के बिल्डरों द्वारा ऐसे परिसरों के विक्रय के सम्पूर्ण मूल्य पर समाहितीकरण योजना के तहत 1 प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा।
- अन्य कार्य-संविदाकारों के लिए भी समाहितीकरण योजना लागू की जायेगी।
- समाहितीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत ईंट भट्ठों की निर्धारित वार्षिक कर की राशि 60,000, 80,000 एवं 1,00,000 रूपयों को 15 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।
- तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद पर लगने वाले कर की वर्त्तमान दर को 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जायेगा।
- व्यापार विचलन को रोकने हेतु सिगरेट उत्पादन में प्रयुक्त होनेवाले कच्चे तम्बाकू पर प्रवेश कर की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।
- झाडू, काजल, मेंहदी, मखाना, सेवई, सिंघाड़ा (सुखा), सिंघाड़े का आटा एवं रामदाना को कर मुक्त किया जायेगा।
- वर्ष 2012-13 में राज्य के बाकी बचे चारों चेक पोस्टों यथा सोहनीपट्टी (बक्सर), जलालपुर (गोपालगंज), कर्मनाशा (कैमुर) एवं दालकोला (पूर्णियाँ) को भी कार्यशील बनाया जायेगा एवं सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे जाँच की व्यवस्था की जायेगी।
- वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण कार्यालय के लिए किसी उपयुक्त स्थल पर पर्याप्त जगह उपलब्ध कराकर समूचित व्यवस्था की जायेगी और वर्ल्ड बँक ग्रुप के ग्लोबल टैक्स टीम से प्राप्त सुझाव के आलोक में न्यादाधिकरण की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जायेगा।
- वाणिज्य कर विभाग के कम्प्यूटराईजेशन कार्यक्रम के सूचारू रूप से संचालन के क्रम में सामने आ रही सभी तकनीकी कठिनाईयों को अगामी वित्तीय वर्ष में दूर कर, विशेषकर लगाये गये सर्वरों को अपग्रेड कर एवं उनकी संख्या बढ़ाकर, ई-पेमेंट, ई-रिटर्न एवं केन्द्रीय प्रपत्रों का ई-निर्गमन के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।
- वर्ष 2012—13 अप्रैल से 'सी' फार्म का निर्गमन आनलाइन प्रारम्भ किया जाएगा।
- वर्ष 2012—13 में रिटन्स की स्क्रुटनी की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकरण तथा व्यवसायियों को भेजी जानेवाली सूचनाएं ई—मेल के माध्यम से प्रेषित करने की व्यवस्था की जायेगी।
- वर्ष 2012—13 से सभी निबन्धित व्यवसायियों को ई—विवरणी दाखिल करना अनिवार्य होगा।
- पेशाकर क्रियान्वयन प्रणाली को सरलीकृत करते हुए पेशाकर दाताओं के द्वारा रिटर्न फाईलिंग एवं उनके असेसमेंट की व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा।
- वैट निबंधन हेतु निर्धारित कोर्ट फी स्टाम्प के रूप में दी जानेवाली 100 रूपये फीस की राशि को समाप्त किया जायेगा।

- सरलीकरण समिति की अनुशंसा के आलोक में उद्योगों को प्रतिपूर्ति की राशि लौटाये जाने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जायेगा।
- भामाशाह पुरस्कार योजना को और आकर्षक बनाते हुये प्रमाण-पत्र के साथ-साथ नगद पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी एवं इस योजना का विस्तार भी किया जायेगा।
- बिहार में खरीद—बिक्री के क्रम में कैशमेमों प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार योजना शुरू की जायेगी और लॉटरी सिस्टम से चुने गये कैशमेमों धारकों को नगद पुरस्कार दिया जायेगा।
- अखबार में प्रयोग किये जाने वाले न्यूजप्रिंट को प्रवेश कर से मुक्त किया जायेगा।
- टाईनी तथा माईक्रो श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के क्रम में लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा।
- जिन वस्तुओं पर प्रवेश कर की दर वैट दर से अधिक है उनपर लगनेवाले प्रवेश कर की दर को घटाकर वैट दर के समतुल्य किया जायेगा।
- चैरिटेबल नॉन-प्रोफिट मेिकंग संस्थाओं द्वारा संचालित धर्मशाला, विवाह भवन एवं सामुदायिक भवनों को विलासिता कर से मुक्त किया जायेगा।

BUDGET ANNOUNCEMENTS OF 2012-13

Related to Commercial Taxes Department

- It is proposed to levy tax at the rate of 1% under a compounding scheme on builders of residential and commercial complexes on the total sale value of residential and commercial complexes.
- Compounding scheme for other works contractor is also proposed to be implemented.
- The annual tax of Rs. 60000/-, Rs 80000/- and Rs 100000/- payable by different categories of brick kiln dealers under composition scheme is being proposed to be raised by 15%.
- The current rate of tax on tobacco and tobacco products is being proposed to be raised from 13.5% to 20%.
- With a view to curbing trade diversion it is being proposed to lower the rate of entry tax on raw tobacco from 8% to 4%.
- It is proposed to exempt jhaadu, kaajal, mehndi, makhana, sevai, singhada (dry), flour of singhada and ramdana from the levy of tax.
- The remaining four check posts viz. Sohanipatti (Buxar), Jalalpur (Gopalganj), Karamnasha (Kaimur) and Dalkola (Purnea) will be made functional during 2012-13 and round the clock checking will be made at all the check posts.
- Necessary arrangements will be made for the Commercial Taxes Tribunal by providing sufficient space at some appropriate place and necessary reforms in the work procedure of the Tribunal shall be carried out in line with the recommendations of the Global Tax Team, World Bank Group.
- Technical problems being faced in the effective implementation of the computerization
 programme of the Commercial Taxes Department will be resolved during the next
 financial year, and the target in respect of e-payments, e-returns and electronic issuance
 of forms will be met by deploying additional servers and upgrading the existing servers.
- During 2012-13 scrutiny of returns will be done on the system itself and all notices to dealers shall be dispatched on e-mail.

- The rules for the implementation of professional tax shall be simplified and persons
 paying professional tax shall not be required to file returns and such persons shall not be
 subjected to assessment.
- The fee of Rs.100 payable by way of court fee stamps upon every application for registration shall be done away with.
- The procedure for re-imbursement to industrial units shall be simplified in accordance with the recommendations of the Committee set up in this regard.
- The Bhama Shah awards scheme will be made more attractive by providing for cash awards along with the certificate and the scheme will also be expanded.
- Holders of cash-memos, selected through a draw of lots will be given cash prizes in order to incentivize issuance of cash-memos in Bihar.
- Newsprint used for printing of newspapers will be exempted from the levy of entry tax.
- The rate of Central Sales Tax payable on inter-state sales by tiny and micro sector units shall be reduced from 2% to 1%.
- The rate of entry tax on goods subject to entry tax at a rate higher than the corresponding VAT rate shall be reduced and the entry tax rate shall be made equivalent to the corresponding VAT rate.
- Dharamshalas, marriage halls and community halls run by charitable non-profit making bodies shall be exempted for the levy of Luxury tax.